5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

165

समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनर्रीक्षण प्रकरण क्रमांक...../2016 R4962-I-16

आवेदक- विसराम कोल पिता श्री तनकाई कोल
निवासी लालबहादुर शास्त्री वार्ड पहरूआ, तह0 व जिला कटनी म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय **श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/अ-21/2008-09, में पारित आदेश दिनांक 24.10.2016** से व्यथीत होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक **लालबहादुर शास्त्री वार्ड पहरूआ कटनी** तह0 व जिला कटनी का स्थाई निवासी है।

2. यह कि, आवेदक की **ग्राम बामनमार, प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0-मुड़वारा-2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर-252/1 कुलरकवा-0.29 हे0** भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज है।

3. यह कि, आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 26.12.2001 के माध्यम से **श्री कालू वल्द ज्ञानी भुमिया निवासी-कैलवाराकलॉ से** क्रय की है तथा क्रय दिनांक से उक्त भूमि पर निर्विवाद रूप से निरंतर काबिज चला आ रहा है। **विक्रयपत्र की छायाप्रति संलग्न है जो पी-1 है।**

4. यह कि, आवेदक के द्वारा उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि को अन्य सामान्य वर्ग के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति हेतु श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला कटनी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण क्रमांक 46/अ-21/2008-09 के रूप में दर्ज किया गया तथा दिनांक 24.09.2009 को उक्त प्रकरण निरस्त कर दिया गया । **आदेश की छायाप्रति संलग्न है जो पी-2 है।**

5. यह कि, आवेदक के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 46/अ-21/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2009 से परिवेदित होकर अपील न्यायालय एडिश्नल कमिश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे प्रकरण क्रमांक 72/अ-21/2009-10, के रूप में दर्ज किया गया तथा दिनांक 25.04.2013 को आदेश पारित कर कलेक्टर जिला-कटनी के पारित आदेश को स्थिर रखा गया। **आदेश की प्रति संलग्न है जो पी-3 है।**

6. यह कि, आवेदक के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी एवं एडिश्नल कमीशनर जबलपुर, संभाग-जबलपुर के द्वारा प्रकरण मे पारित आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 10154/2014 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय

.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी/4262/एक/2016 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के राजस्व प्रकरण कमांक 46/अ–21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 1– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई की, ग्राम–बामनमार, प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0–मुड़वारा–2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 252/1 कुल रकवा 0.29 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है तथा आवेदक के स्थाई निवास से अत्यधिक दूर स्थित है को बेचकर आवेदक के पैत्रिक निवास के पास स्थित ग्राम पुरैनी, की भूमि कुलरकवा 1.30 हे0 तथा ग्राम शिवराजपुर जिला कटनी स्थित भूमि कुल रकवा 2.05 हे0 एवं ग्राम मझगवां जिला कटनी स्थित भूमि कुल रकवा 1.19 है0 भूमि पर उन्नत कृषि कार्य करेगा जिस हेतु ग्राम बामनमार स्थित भूमि खसरा नंबर 252/1 कुल रकवा 0.29 हे0 भूमि को बेचने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदन पत्र न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण पंजीबध्द कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटनी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उक्त प्रकरण में भूमि विकय की अनुमति प्रदान नहीं की गई ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील न्यायालय अतिरिक्त कमीश्नर, जबलपुर, संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रकरण कमांक/72/अ–21/2009–10 के रूप में दर्ज किया गया	

तथा दिनांक 25.04.2013 को आदेश पारित कर कलेक्टर जिला कटनी के प्रकरण कमांक 46/अ–21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2009 को स्थिर रखे जाने के आदेश पारित किये गये । आवेदक के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी एवं अतिरिक्त कमीश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर के द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में पारित आदेश के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष एक याचिका कमांक/10154/2014 प्रस्तुत की गई जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.09.2014 को आदेश पारित किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा प्रकरण में पारित आदेशों को निरस्त करते हुये प्रकरण में पुनः सुनवाई करने के आदेश कलेक्टर जिला कटनी को दिये गये। आवेदक के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके उपरांत कलेक्टर जिला कटनी ने उक्त प्रकरण में पुनः सुनवाई की तथा दिनांक 24.10.2016 को आदेश पारित कर प्रकरण निरस्त कर दिया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र अवलोकन किया गया आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि आवेदक के द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 26.12.2001 के द्वारा कय की गई है, शासन से पट्टे पर प्राप्त नहीं है, एवं प्रश्नाधीन भूमि को विकय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम पुरैनी प0ह0नं0 40, रा0नि0मं0 मुड़वारा–1, जिला कटनी में खसरा नंबर 293/1, 293/2, 294/2 रकवा कमशः 0.42, 0.48, 0.40 हे0 कुल रकवा 1.30 हे0 इसी प्रकार ग्राम शिवराजपुर प0ह0नं0 50, रा0नि0मं0 पहाड़ी जिला कटनी में खसरा नंबर 801/2 कुल रकवा 2.05 हे0 तथा ग्राम मझगवां, प0ह0नं0 01/30, रा0नि0मं0 मुड़वारा–2, जिला कटनी में खसरा नंबर 494/5 कुल रकवा 1.19 हे0 कृषि भूमियां शेष बचती है, आवेदित भूमि को विकय करने के उपरांत

आवेदक भूमिहीन नहीं होगा तथा आवेदित भूमि को विक्रय करने से जो राशि प्राप्त होगी उससे वह उपरोक्त भूमियों को और अधिक कृषि उपयोगी बनावेगा जिसका उल्लेख आवेदक ने अपने आवेदनपत्र में भी किया है, ऐसी स्थिति में उसे आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दी जाती है तो उपरोक्त भूमि से लाभ के स्थान पर उसे हानि होगी इसलिये आवेदक को आवेदित भूमि को विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये। किन्तु कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश पर विधिवत् विचार नहीं किया और आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विधिवत् हो जाने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दी गई तथा आवेदनपत्र पर सद्भावी विचार नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही निरस्त किया जावे। अन्त में आवेदक अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी का आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अनावेदक के अभिभाषक के द्वारा इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की गई।

3– उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में देखना यह है कि क्या कलेक्टर जिला कटनी ने आदेश पत्रिका दिनांक 24.10.2016 पारित किया है वह विधिवत् है अथवा नहीं क्योकि जब उक्त प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के यहां जांच हेतु भेजा गया था एवं आवेदित भूमि के संबंध में वस्तुस्थिति की जांच करने के उपरांत पुनः अधीनस्थ न्यायलायक के समक्ष वापस भेजा गया, तब ऐसी स्थिति में विक्रय की अनुमति आवेक को प्रदान क्यों नहीं की गई क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तव में त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त किये जाने योग्य है ।

4– आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम बामनमार प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0 मुड़वारा–2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 252/1 कुल रकवा 0.29 हे0 राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है।

जो आवेदक के स्थानीय निवास से अत्यधिक दूर स्थित है अतः वह उक्त भूमि को बेचकर अपने पैत्रिक ग्राम पुरैनी प0ह0नं0 40, रा0नि0मं0 मुड़वारा–1, जिला कटनी में खसरा नंबर 293/1, 293/2, 294/2 रकवा कमशः 0.42, 0.48, 0.40 हे0 कुल रकवा 1.30 हे0 इसी प्रकार ग्राम शिवराजपुर प0ह0नं0 50, रा0नि0मं0 पहाड़ी जिला कटनी में खसरा नंबर 801/2 कुल रकवा 2.05 हे0 तथा ग्राम मझगवां, प0ह0नं0 01/30, रा0नि0मं0 मुड़वारा–2, जिला कटनी में खसरा नंबर 494/5 कुल रकवा 1.19 हे0 कृषि भूमियों को और अधित उपजाऊ बनाना चाहता है जिससे वह अपने परिवार का भरण–पोषण एवं जीविकोपार्जन अच्छी तरह से करेगा उक्त भूमियां उसके भरण–पोषण के लिये पर्याप्त है ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि के विकय की अनुमति पर सद्भाविक विचार किया जाना चाहिये था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया ।

प्रकरण में देखना यह है कि आवेदक आवेदित भूमि को विकय करने का पात्र है अथवा नहीं :–

1– अनुविभागीय अधिकारी जिला कटनी एवं तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय को भेजे गए अपने जॉच प्रतिवेदनों में उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि आवेदक ने रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की है शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई भूमि है, तथा आवेदित भूमि को विकय करने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन नहीं होगा। आवेदक के पास आवेदित भूमि के विकय उपरांत उसके भरण–पोषण के लिये पर्याप्त भूमियां है।

2– हल्का पटवारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि असिंचित (पड़ती) भूमि है जो आवेदक की घाटे की कृषि भूमि है।

3– आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में भी आदेश पारित कर आवेदनपत्र निरस्त कर दिया गया था जिसकी अपील अतिरिक्त कमीश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर के समक्ष

प्रस्तुत की गई वहां भी आवेदक को अनुमति प्रदान नहीं की गई इसके उपरांत आवेदक के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई उक्त याचिका में दोनों अधीनस्थ के पारित आदेशों को निरस्त करते हुये आवेदक को पुनः सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर जिला कटनी को निर्देशित किया गया किन्तु कलेक्टर जिला कटनी ने आवेदक को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किये बिना तथा आवेदित भूमि के संबंध में अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों से आवेदित भूमि की पुनः जॉच किये बिना ही आदेश पारित किया गया । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को मान्नीय उच्च न्यायालय के पारित आदेशों के अनुकूल विधिवत् जॉच उपरांत आदेश पारित करना चाहिये था जो नहीं किया गया ।

4- प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को, प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि है उसे उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्रदान नहीं की गई है। आवेदक आदिवासी जाति का है, जिसके कारण उसने आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति मांगी है, संहिता की धारा 165 (6) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी आदिवासी जाति का भूमिस्वामी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने अधिनस्थ से अपनी आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। आवेदक ने विक्रय करने का अनुबंध शासन के निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार किया है परिणामतः आवेदक को स्वःअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है किन्तु कलेक्टर कटनी ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 46/अ-21/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 त्रुटिपूर्ण होने से

निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को ग्राम बामनमार प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0 मुड़वारा–2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 252/1 कुल रकवा 0.29 हे0 भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्य